न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 568 सन 2018
अनवान :–

1. अमरजीत पुत्र सुभाष जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

बनाम **वादी**

1. अमीलाल पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. सुभाष पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
3. अल्फा पुत्री सुभाष जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
4. कैलाश पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
5. बलवन्ती उर्फ धनकोर जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
6. रोशनी उर्फ रेशमा पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 31.12.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 4 के प0न0 363/389 (6) के किला न0 11 ,12 ,13/0.759हैक व रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 11 के प0न0 358/399(66) के किला न0 2 ता 4 /0.759हैक 5/0.117 ,6/1 की 0.140 ,7/1 की 0.215 ,8 ,9/0.506हैक कुल 1.797हैक व रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 1 के प0न0 369/384(10) के किला न0 16 ,17/0.506हैक 18/2 की 0.063हैक किला न0 23/2 की 0.063हैक किला न0 24 , 25/0.506हैक कुल 1.138हैक भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा नन्दराम पुत्र जीराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से बाद भूमि उनके पुत्रो पर औद हुई और वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा में आई है जिसके वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बराबर के हकदार है तथा 3 ता 6 वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नानू के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता ,6 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता ,6 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता ,6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ता ,6 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 4 की कुल 0.759हैक , भूमि का वादी खातेदार काश्तकार रहेगा एवं रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 11 की कुल 1.797हैक भूमि वादी अकेला 0.506हैक एवं प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1.291हैक भूमि का खातेदार काश्तकार रहेगा एवं रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 7 की 1.138हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 अकेला खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31.12.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (~~हनुमानगढ~~)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official